

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 548 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2019 — भाद्रपद 9, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8868/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2019)

## छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |                                     |    |     |  |
|-------------------------------------|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.   |
|                                     |    | (2) | इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.  |
|                                     |    | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.   |
| धारा 2 का संशोधन.                   | 2. |     | छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 की उप-धारा (1) में,-         |
|                                     |    | (क) | खण्ड (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-  |
|                                     |    |     | “(अ) “अपवर्जित परिवार” से अभिप्रेत है ऐसा परिवार, जिसे इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किसी पात्रता के लिये अपात्र अधिसूचित किया जाये; |
|                                     |    | (ख) | खण्ड (य) का लोप किया जाये.   |
| धारा 15 का संशोधन.                  | 3. |     | मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) में,-  |
|                                     |    | (क) | कोलन चिन्ह “:” के स्थान पर, पूर्ण विराम चिन्ह “ ” प्रतिस्थापित किया जाये.  |
|                                     |    | (ख) | प्रथम परंतुक का लोप किया जाये.   |

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8868/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-08-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ACT

(No. 13 of 2019)

**THE CHHATTISGARH FOOD AND NUTRITION SECURITY (AMENDMENT) ACT,  
2019****An Act to further amend the Chhattisgarh Food and Nutrition Security Act, 2012  
(No. 5 of 2013).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Food and Nutrition Security (Amendment) Act, 2019.   | Short title, extent and commencement. |
|    | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.  |                                       |
|    | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.   |                                       |
| 2. | In the Chhattisgarh Food and Nutrition Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1) of Section 2 -             | Amendment of Section 2.               |
|    | (a) for clause (j), the following shall be substituted, namely :-  |                                       |
|    | “ (j) “Excluded Households” means households which are notified ineligible for any entitlement by the State Government under sub-section (4) of Section 15 of this Act;” |                                       |
|    | (b) clause (z) shall be omitted.   |                                       |
| 3. | In sub-section (4) of Section 15 of the Principal Act,-  | Amendment of Section 15.              |
|    | (a) for the punctuation colon “:”, the punctuation full stop “.” shall be substituted.   |                                       |
|    | (b) first proviso shall be omitted.  |                                       |